न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

अपील संख्या:– 38 / 2016
जी.सी.एम.एस .संख्या:– 2016 / 00106 (223 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. मुंशी पुत्र हरचन्द
2. पुष्पा बेवा हरी
3. नरेश पुत्र हरी
4. भूरा पुत्र हरी
5. सुनीता पुत्री हरी
6. हंसा बेवा छोटे
7. देवीचरण पुत्र छोटे

सभी जाति कहार निवासीयान मासलपुर तहसील मासलपुर जिला करौली

.....अपीलाटगण / प्रतिवादीगण।

बनाम

1. सुरेश
2. दिनेश
3. बबली

} पिसरान मदन

4. रेशम बेवा मदन

जाति कहार निवासी मासलपुर तहसील मासलपुर जिला करौली राज0

5. तहसीलदार तहसील मासलपुर।

उपस्थित:– .....रेस्पोडेन्टगण / वादीगण।

1. श्री रामजीलाल अग्रवाल अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री गोविन्द चतुर्वेदी अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट।
3. श्री पैरोकार सरकार उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनांक: 10.07.2023

1. यह अपील मातहत अदालत न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली जिला करौली में दायर राजस्व वाद संख्या 516 / 2008 बउनवान सुरेश वगैरह बनाम मुन्सी वगैरह में

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.04.2016 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद अन्दर प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण मे संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की ओर से एक वाद पत्र इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नंबर 319, लगायत 322, 324 लगायत 335, कुल किता 16 कुल रकबा 03 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम उचेका पुरा मे स्थित है। जिसमे साबिक खसरा नंबर 184, 185 है। उक्त आराजी पक्षकारान की पुश्तैनी व कब्जे काश्त की रही हैं। वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा उक्त आराजीयात को शामलाती रूप से काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पिता हरचन्द ने सेटलमेन्ट विभाग से सांठ–गांठ करके उक्त आराजीयात का नामान्तकरण अपने नाम करवा लिया। प्रतिवादीगण वादीगण को उक्त आराजीयात को कब्जे काश्त करने से मना करते है तथा उक्त आराजीयात को स्वयं की आराजीयात बतलाते है। अतः अनुतोष चाहा गया कि प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर उक्त आराजीयात का तकास्मा उभयपक्षों मे किया जावें, तथा राजस्व रिकार्ड मे उसी प्रकार अंकन किया जावें। अदालत मातहत मे प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा पेश किया गया जिसके अनुसार वादीगण का उक्त आराजीयात से कोई लेना देना नही है यह प्रतिवादीगण के पिता हरचंद की खातेदारी की आराजीयात थी, जिस पर प्रतिवादीगण ही कब्जे काश्त करते चले आ रहे है। मातहत अदालत ने उक्त वाद पत्र को स्वीकार करते हुए दिनांक 20.04.2016 को इस प्रकार से आदेश पारित किया कि " विवादित आराजीयात खसरा नंबर 319 लगायत 322, 324 लगायत 335 कुल किता 16 कुल रकबा 03 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम उचेका पुरा तहसील मासलपुर जिला करौली मे वादीगण को हिस्सा 1/2 व प्रतिवादीगण 01 ता 04 को हिस्सा 1/2 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। " उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की जा रही है।

3. अपील मीमों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मातहत अदालत ने निर्णय व डिक्री हरि पुत्र हरचन्द प्रतिवादी का स्वर्गवास दिनांक 17.03.2015 को हो जाने के पश्चात् भी कायम मुकाम की कार्यवाही किए बगैर तथा हरि के वारिसान अपीलांट 03 ता 05 को सुनवाई का अवसर दिये बगैर ही उक्त निर्णय पारित किया है, जो विधि विपरीत होने से खारिज योग्य है। मातहत अदालत मे वादीगण ने अपने अधिकारों बाबत् जमाबंदी पेश किये बगैर दावा वादी कयासी आधार पर डिक्री किये जाने में कानूनी भूल की है। उक्त दावे से संबंधित राजस्व अपील अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.05.2007 की अक्षर पालना किये बगैर ही मातहत अदालत ने निर्णय व डिक्री पारित किए जाने मे कानूनी भूल की है। मातहत अदालत ने विवादित जमीन पर पुश्तैनी तौर पर काबिज होने एवं रेस्पोडेन्ट का गत 40 साल से विवादित जमीन पर कब्जा ना होते हुये भी

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

निर्णय व डिक्री पारित करने मे कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर मातहत अदालत का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे।

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

5. मुख्य बहस मे अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि शिमला पुत्री मदन निवासी राजौर को रेस्पोडेन्ट नंबर 01 लगायत 04 ने बिना पक्षकार बनाये दावा पेश कर अहम् कानूनी भूल की है, जबकि रेस्पोडेन्टगण द्वारा शिमला पुत्री मदन को पक्षकार बनाया जाना चाहिए था क्योंकि विवादित आराजीयात मे उसके भी हित प्रभावित होते है। आगे कथन किया कि मातहत अदालत ने निर्णय व डिक्री हरि पुत्र हरचन्द प्रतिवादी का स्वर्गवास दिनांक 17.03.2015 को हो जाने के पश्चात् भी कायम मुकाम की कार्यवाही किए बगैर तथा हरि के वारिसान अपीलांट 03 ता 05 को सुनवाई का अवसर दिये बगैर ही उक्त निर्णय पारित किया है, जो विधि विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर मातहत अदालत सहायक कलेक्टर करौली द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.04.2016 को अपास्त किया जावें।

6. जवाब बहस मे अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि उक्त विवादित आराजीयात उभयपक्षकारान की पैतृक संपत्ति है जिस पर दोनो पक्षों का समान अधिकार है। मातहत अदालत द्वारा पारित निर्णय मे भी उभयपक्षकारान को समान हिस्से का खातेदारी अधिकार प्रदान करने के आदेश दिए गए है। जो विधिक व कानूनन रूप से सही है। अपील अपीलांट मात्र रेस्पोडेन्टगण को बेवजह परेशान करने के उद्देश्य से पेश की गई है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

7. हमारे द्वारा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। उभयपक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया।

8. पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजों व साक्ष्यों के अवलोकन से जाहिर आया कि प्राथमिक डिक्री दिनांक 20.04.2016 को पश्चात् दिनांक 01.07.2016 की अंतिम डिक्री जारी की जा चुकी है। अपीलांट द्वारा केवल प्राथमिक डिक्री की ही अपील की पेश की गई है। अंकित डिक्री की अपील ही नही की गई है। प्राथमिक व अंतिम डिक्री के विरुद्ध पृथक–पृथक अपील प्रस्तुत करनी चाहिए। प्राथमिक व अंतिम डिक्री के दो निर्णयों के विरुद्ध एक अपील संधारण योग्य नहीं होती है। 2014 आर0बी0जे0 पेज 342 पर माननीय मण्डल की खण्डपीठ ने प्रकरण अनुवानी जीतसिंह बनाम गुरुदेव कौर में स्पष्ट मत प्रतिपादित किया है कि "प्राथमिक व अंतिम डिक्री के विरुद्ध अलग–अलग अपीलें पेश करनी चाहिए, एक अपील मेंटेनेबिल नहीं है। अपीलार्थी को प्राथमिक व अंतिम

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

डिक्री के विरुद्ध अलग–अलग अपीलें प्रस्तुत करनी चाहिए थी।" इसी प्रकार से 2013 आर0बी0जे0 पेज 371 पर प्रकरण अनुदानी हारून व अन्य बनाम श्रीमती जुबेदा व अन्य में माननीय मण्डल की एकलपीठ ने दो आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत की गई एक अपील को संधारण योग्य नहीं माना है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.04.2016 व अंतिम डिक्री दिनांक 01.07.2016 के विरुद्ध केवल एक ही अपील पेश होने के कारण अपील संधारण योग्य नही होने के कारण अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरेइजलास आज दिनांक 10.07.2023 को सुनाया गया।

(हरि राज मीना) 10.7.23
राजस्व अपील प्राधिकारी,
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner